न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 39/अपील/2025 (GCMS No. 2025/98)	22.07.2025	06.10.2025

मोहम्मद सद्दीक पुत्र पीर मोहम्मद, निवासी ग्राम धोवडा
उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम धोवडा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, बून्दी
आदेश दिनांक 02.06.2025 प्रकरण संख्या 04/2025

उपस्थितः–

1. अपीलांट की ओर से श्री शिफा उल हक, एडवोकेट।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 39/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/98 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। जिला रसद अधिकारी बून्दी के पत्र दिनांक 05.08.2025 से मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली ने दिनांक 04.03.25 को जब अपीलान्ट की दुकान का दोपहर 1.10 बजे निरीक्षण किया, उस समय दुकान का लंच का समय था और अपीलांट अपने घर खाना खाने गया था, अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पो0 ने दुकान का निरीक्षण कर गलत रिपोर्ट बनाई। निरीक्षण पर्चे में कहीं भी अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है, न ही अपीलांट को निरीक्षण के समय मौके पर बुलाया गया। गेहूं का स्टॉक दुकान से जुडी हुई गैलेरी में रखा हुआ था। अपीलांट को मौके पर बुलाकर उक्त स्टॉक के बारे में पूछते तो अपीलांट गैलेरी में रखे स्टॉक के बारे में बता देता। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के खिलाफ की गई कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। रेस्पो. द्वारा अपीलांट को दिनांक 11.03.2025, दिनांक 20.03.2025 एवं दिनांक 23.04.2025 को नोटिस जर्ये पोस्टल डाक भिजवाना बताया गया है एवं दूरभाष पर सूचित करना बताया है, जबकि अपीलांट को न तो कोई नोटिस मिला और नहीं उसे रेस्पो. द्वारा इस बात की कोई सूचना दी गई, जो तीनों नोटिस अपीलांट को देना बताया गया है, वह कार्यालय में बैठकर ऑफलाईन हाथ से बनाये गये है, वह जिला रसद अधिकारी बून्दी की राजकाज आई.डी. से जारी नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट के खिलाफ यह नोटिस एक ही दिन कार्यालय में बैठकर बनाये गये है। अपीलांट को रेस्पो. द्वारा भिजवाये गये नोटिस पर अपीलांट को नोटिस मिलने/ तलबी होने के हस्ताक्षर भी नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्थार्थ लगाया गया दुकानदार जब अपीलांट के पास पोस मशीन व स्टॉक लेने गया तो उसी वक्त अपीलांट ने अपना गेहूं का स्टॉक व पोस मशीन उसको उसी दिन संभला दिया, इससे साबित होता है कि अपीलांट के पास गेहूं का स्टॉक उपलब्ध था। इसलिए अपीलांट पर यह आरोप कतई गलत है कि 14 दिन बाद स्टॉक संभलाया गया। रेस्पो. द्वारा अपीलांट के नाम उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने से लेकर लाईसेंस निरस्त करने तक कोई नोटिस, सूचना अपीलांट को नहीं दी गयी, अपीलांट ने सम्पूर्ण पत्रावली सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्राप्त की है। अपीलांट एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, जिसका आय का कोई स्त्रोत नहीं है। अपीलांट का प्राधिकारी पत्र निरस्त करने से वह बेरोजगार हो गया है, उसके भूखे मरने की नौबत आ गई है, अपीलांट वर्ष 2003 से निरन्तर रूप से खाद्यान्न का वितरण कर रहा है तथा रेस्पो. द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करता चला आ रहा है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर रेस्पो. द्वारा अपीलांट व उसके परिवार के रोजगार पर सीधा कुठराघात किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय व विधि के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी का आदेश दिनांक 02.06.2025 निरस्त फरमाकर अपीलांट का उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र संख्या 924/2003 ग्राम धोवडा, ग्राम पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी बहाल किया जावे।

जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि दिनांक 04.03.2025 को प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डोली द्वारा उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली (पोस कोड 2981) का भौतिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन का स्टॉक देखा गया, जिसमें ऑनलाईन रेकार्ड अनुसार पोस मशीन में 2436 कि.ग्रा. गेहूँ दर्ज है किन्तु निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान में खाद्य सुरक्षा गेहू का कोई स्टॉक नहीं मिला। इस प्रकार डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा के 2436 कि.ग्रा. गेहू का गबन किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितता के कारण उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र संख्या 924/2001 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 04/2025 दर्ज कर दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.03.2025 को नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ताओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुये उक्त उचित मूल्य दुकान का अस्थाई अटैचमेंट श्री महावीर सैनी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत अलोद के किया गया। निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार दिनांक 19.03.2025 को उपस्थित कार्यालय नहीं आये और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 20.03.2025 एवं दिनांक 23.04.2025 को पुनः नोटिस जारी किया गया, किन्तु नियत दिनांक को भी अपीलांट कार्यालय में उपस्थित नहीं हुऐ और न ही किसी प्रकार का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। कार्यालय द्वारा बार बार सूचित करने पर निलंबन के 14 दिवस बाद दिनांक 19.03.2025 को कम पाये गये गेहू सहित चार्ज का अटैचमेंट उचित मूल्य दुकानदार श्री महावीर सैनी को हस्तांतरण किया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को डीलर उपस्थित नहीं हुआ। डीलर को संतोषप्रद स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो लिखित में जवाब दिया गया और न ही अपना पक्ष रखा गया, जबक डीलर वर्ष 2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य कर रहे है ऐसे में उनको प्राधिकार पत्र निलंबन के बाद होने वाली कार्यवाही की जानकारी है। इससे स्पष्ट होता है कि डीलर के पास वक्त निरीक्षण गेहूँ का स्टॉक उपलब्ध नहीं था, जो गेहूं के स्टॉक के गबन को प्रमाणित करता है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया, जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाया गया है। जिस कारण उक्त प्राधिकार पत्र संख्या 924/2001 निरस्त किया गया एवं डीलर की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील, अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे जाहिर आया कि श्री मोहम्मद सद्दीक पुत्र पीर मोहम्मद को उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत धोवडा, तहसील हिण्डोली के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 924/2001 जारी किया हुआ था। प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली द्वारा दिनांक 04.03.2025 को भौतिक निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत धोवडा पोस कोड 2981 में अनियमितताऐं पायी गयी। जिस पर विभागीय प्रकरण सं. 04/2025 दर्ज कर कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2025 से उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत धोवडा को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 924/2001 अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया जाकर उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, किन्तु कई बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी श्री मोहम्मद सद्दीक द्वारा न तो नियत तिथि पर रसद कार्यालय में उपस्थित आये और न ही कोई जवाब ही प्रेषित किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर दुकानदार के प्रतिनिधि श्री आशिक अली एवं श्री हेमराज सिंह निवासी धोवडा की उपस्थिति में निरीक्षण पर्चा दिनांक 04.03.2025 बनाया गया। जिस पर उचित मूल्य दुकान पर मौजूद गवाह श्री हेमराज सिंह एवं अपीलांट के पुत्र आशिक अली के हस्ताक्षर है। प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली की चार्ज हस्तान्तरण रिपोर्ट दिनांक 19.03.2025 के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार श्री मोहम्मद सद्दीक के द्वारा अटैच उचित मूल्य दुकानदार अलोद श्री महावीर सैनी को 14 दिन बाद 2406 कि.ग्रा. गेहू संभलाया गया। प्रवर्तन अधिकारी के भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर गेहू के स्टॉक का गायब मिलना और प्राधिकार पत्र निलम्बन के पश्चात वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त डीलर को नियत समय पर चार्ज हस्तान्तरित नहीं करने से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने से उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं अपीलांट की जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किया जाने का आदेश प्रदान किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील यहां पेश की जाकर आपत्ति प्रकट की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, इसलिए उक्त आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट है कि जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा अपीलांट को नोटिस कमांक 993 दिनांक 11.03.2025, नोटिस

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

क्रमांक 1188 दिनांक 20.03.2025 एवं नोटिस क्रमांक 1860 दिनांक 23.04.2025 जारी किया गया है। साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा अपीलांट को दूरभाष पर सूचित किये जाने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 02.06.2025 पर अंकित किया है। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी तीनों नोटिसों में किसी भी नोटिस पर अपीलांट की प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं होने से उसकी तामील करवाया जाना नहीं पाया गया। इससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने की उक्त प्रकिया न्यायालय के सूचना व सुनवाई के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। ऐसा एकपक्षीय आदेश विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा विभागीय प्रकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई हेतु जारी नोटिसों पर अपीलांट की तामील का अभाव पाया गया है जिससे अपीलांट के सुनवाई के नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन होना प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बिना गुणावगुण पर परीक्षण किये प्रथमदृष्टया ही विधिविरूद्ध प्रमाणित होने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट (उचित मूल्य दुकानदार) को नोटिस की विधिवत तामील करवाकर, उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुये नियमानुसार नये सिरे से आदेश पारित किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
बून्दी